बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

[illegible]

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष

* सुरेश कुमार शर्मा

मो० ~~94318183 46~~/9431479774

महासचिव,

* सुशील कुमार

मो० 9431091417

उपाध्यक्ष: – * सआदत हसन मिन्टो

* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव: – * राजयनन्द वार्डियार

* अनिल कुमार

कोषाध्यक्षः – * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्षः – * विनोद आनन्द

पत्रांक : 02 दिनांक 10-1-2015

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,

बिहार सरकार ।

विषय:–बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रतिनिधिमंडल को भवदीय से वार्ता हेतु समय निर्धारित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संघ का प्रतिनिधि मंडल भवदीय से वार्ता करना चाहता है।

भवदीय से विनम्र निवेदन है कि अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से संघ को वार्ता हेतु अपना बहुमूल्य समय देने की महती कृपा की जाय ।

वार्ता के बिन्दु:-

1. **प्रोन्नति अवरूद्ध होने के संबंध में ।**

समादेशबाद संख्या –19114/2012 में माननीय उच्चन्यायालय का आदेश दिनांक 05.08.2014 में आदेश ''Operation of Resolution Annexure -13 (सामान्य प्रशासन का ज्ञापांक 11635 दिनांक 21.08.2012 अनु0. जाति/ जन जाति को परिणामी वरियता के साथ प्रोन्नति) Shall Remain Stayed " परन्तु सामान्य प्रशासन द्वारा प्रोन्नति समिति की बैठक पर ही रोक लगा दी गई है। इससे पदाधिकारी में काफी असंतोष है। इसका समाधान करने की आवश्यकता है ताकि प्रोन्नति हो सके ।

2. **गैर संवर्गीय पद पर प्रोन्नति देने हेतु BAS Rule के संबंध में ।**

बिहार प्रशासनिक सेवा सवर्ग के पुनर्गठन दिनांक 01.04.2010 को होने के उपरान्त स्वीकृत बल 851 के बिरूद्ध पदाधिकारीयों की संख्या लगभग 1600 थी। वर्तमान में पदाधिकारीयों की संख्या 1200 है जो स्वीकृत बल से लगभग 350 अतिरिक्त

है इसके कारण मुल कोटि एवं उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों की प्रोन्नति अवरूद्ध हो गई है। मूल कोटि के पदाधिकारियों कि सेवा अवधि निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	बैच	नियुक्ति का वर्ष	सेवा अवधि
1	36 बैच	1992	22 वर्ष
2	37 बैच	1993	21 वर्ष
3	38 बैच	1995	19 वर्ष
4	39 बैच	1996	18 वर्ष
5	40 बैच	1997	17 वर्ष
6	41 बैच	1999	15 वर्ष
7	42 बैच	2000	14 वर्ष

इसी प्रकार मात्र एक प्रोन्नति पाये गये पदाधिकारियों की सेवा अवधि विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	बैच	नियुक्ति का वर्ष	सेवा अवधि
1	34 बैच	1989	25 वर्ष
2	35 बैच	1990	24 वर्ष
3	36 बैच	1992	22 वर्ष

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 25-22 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर मात्र एक प्रोन्नति हुई है वही 22 से लेकर 14 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बावजूद एक भी प्रोन्नति नहीं हुई है। जबकि मूल कोटि से उप सचिव स्तर में प्रोन्नति की कालावधि 5 वर्ष है एवं उप सचिव से अपर समाहर्ता स्तर में प्रोन्नति की कालावधि भी 5 वर्ष ही है। ससमय प्रोन्नति नहीं होने से पदाधिकारियों का मनोबल गिरता जा रहा है तथा पदाधिकारियों में काफी असंतोष व्याप्त है।

3. **जिला पदाधिकारी के पाँच पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का पदस्थापन करने के संबंध में ।**

दिनांक 29.03.1999 एवं पुनः दिनांक 27.10.2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मती राबड़ी देवी की उपस्थिीति में यह निर्णय हुआ था कि " **जिला पदाधिकारी के पाँच पदों को आइ०ए०एस० के अतिरिक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी**

क्रमशः

से भरा जायेगा'' जिसका अनुपालन कराया जाना अपेक्षित है। कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था लागु है।

4. **विभागीय करवाई/निलम्बन/ दण्ड देने के संबंध में ।**

कई मामले ऐसे है जिसमें वगैर कोई ठोष कारण के ही पदाधिकारी को निलिम्बत कर दिया गया है या विभागीय कारवाई प्रारम्भ कर दी गई है या दोष के विरूद्ध दण्ड समानुपातिक न हो कर वृहद दण्ड दे दी गई हैं। ऐसे सभी मामलो की समीक्षा एक निशचित समय सीमा के अन्तगर्त कराकर न्यायोचित फलाफल पर पहुँचने की आवशकता है ताकि न्याय हो सके ।

5. **केन्द के अनुरूप चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने के संबंध में ।**

राज्य सरकार का निर्णय है कि केन्द्र के अनुरूप ही सारी सुविधा राज्य के पदाधिकारी/कर्मी को देना है। चिकित्सा के मामले में अर्तवासीय चिकित्सा मिलता है परन्तु वाहय चिकित्सा एवं सेवा निवृति के पश्चात् चिकित्सा प्रार्तपूर्ति केन्द्र के अनुरूप नहीं मिलता है।

6. **सेवा निवृति का उम्र 62 वर्ष करने के संबंध में ।**

बिहार राज्य में चिकित्सा सवर्ग एवं शिक्षा सेवर्ग का सेवा निवृति उम्र क्रमशः 65 एवं 62 वर्ष है जबकि एक ही परिस्थिति एवं समान स्वास्थ्य परिपेक्ष्य में राज्य के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी कार्य करते है।

विश्वासभाजन

(सुशील कुमार)

महासचिव